

प्रेस नोट – थाना कमालगंज

दिनांक – 10.05.2026

थाना कमालगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 114/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश में आये 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री हरीश चंदर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कमालगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 114/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्त दुर्गेश पुत्र अरविन्द को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

01. दुर्गेश पुत्र अरविन्द निवासी बेहटा मुड़िया थाना अरवल जनपद हरदोई ।

घटना का संक्षिप्त विवरण – दिनांक 25.04.2026 को वादिया की लिखित तहरीर बावत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादिनी की नाबलिंग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 114/2026 धारा 137(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में अपहृता/पीडिता की बरामदगी करते हुए पीडिता के बयान व अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग उपरोक्त में अभियुक्त दुर्गेश पुत्र अरविन्द निवासी बेहटा मुड़िया थाना अरवल जनपद हरदोई का नाम प्रकाश में आया। मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त दुर्गेश उपरोक्त को गिरफ्तार कर अभियोग में धारा 87 बीएनएस कर बढोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त दुर्गेश उपरोक्त से पूछताछ करने पर अपने जुर्म की माफी मांगते हुए अपने बयान वकील के माध्यम से माननीय न्यायालय में देना बताया ।

अभियुक्त दुर्गेश उपरोक्त का अपराधिक इतिहास:-

01. मु0अ0सं0114/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ ।

गिरफ्तारी करने वाली थाना कमालगंज पुलिस टीम:-

1. व0उ0नि0 श्री भूकेन्द्र कुमार
2. का0 हिमान्शू
3. म0का0 कीर्ति चौधरी

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।